

दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

37

संस्थापना आदेश:- 924

दिनांक:- 11-7-18

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों (सहायकों) को सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रु. के पे बैंड में 4800/- रु. के ग्रेड था) पदोन्नत करते हैं:-


क्रम सं. / वरियता सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्व/श्री	तैनाती का वर्तमान स्थान	टिप्पणी
1/1373-ए	कृष्ण लाल सुपुत्र श्री पूरण सिंह	कार्मिक शाखा-1	सैद्धांतिक रूप से उनके कनिष्ठ श्री दिनेश कुमार (वरियता संख्या 1419) के सन्दर्भ में जिनकी पदोन्नति संस्था. आदेश स. 830 दिनांक 26.06.18 के द्वारा सहायक निदेशक के पद पर हुई थी, के सन्दर्भ में सभी परिणामी लाभ सहित पदोन्नत करते हैं। श्री कृष्ण लाल अपनी वरियता श्री दिनेश कुमार के ऊपर बनाये रखेंगे।
2/1471	शिव कुमार अग्रवाल सुपुत्र श्री मुरारी लाल	एफ.ओ.डी.-2	
3/1472	श्याम सिंह रावत सुपुत्र श्री तेग सिंह रावत	सांस्थानिक भूमि	

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- रु. के वेतनमान में 4800/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उनकी तैनाती / स्थानांतरण को निम्नानुसार अनुमोदित किया है:-

क्रम सं. / वरि. सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्व/श्री	स्थान से	स्थान को
1/1373-ए	कृष्ण लाल सुपुत्र श्री पूरण सिंह	पदोन्नति पर	कार्मिक शाखा (कार्यकाल पूरा होने तक)
2/1471	शिव कुमार अग्रवाल सुपुत्र श्री मुरारी लाल	पदोन्नति पर	सी.डी.ओ. (सेवानिर्वृत्त होने तक)
3/1472	श्याम सिंह रावत सुपुत्र श्री तेग सिंह रावत	पदोन्नति पर	भूमि निपटान (कार्यकाल पूरा होने तक)

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।


(तेजपाल सिंह)
उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

सं.-एफ.10(73)2018/सी.सी./
प्रतिलिपि प्रेषित:-

१९५

दिनांक:- 11-7-18

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. मुख्य अभियंता, सी.डी.ओ., विकास मीनार, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. आयुक्त (कार्मिक) / प्रणाली, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता / प्रणाली / सांस्थानिक भूमि, दि.वि.प्रा. ।
6. अधिशासी अभियंता, एफ.ओ.डी.-2, दि.वि.प्रा. ।
7. उप निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / सतर्कता(प्रशा.) / आरक्षण कक्ष / सांस्थानिक भूमि / भूमि निपटान (समन्वय), दि.वि.प्रा. ।
8. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Personnel-> Promotions 2018) ।
9. लेखाधिकारी (संस्था), राजपत्रित / अराजपत्रित / सम्बंधित (सी.ए.यू.) / पी.ए.ओ. (ई.डब्लू.), दि.वि.प्रा. ।
10. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.आई.एम.एस. / (गोपनीय कक्ष)-2, दि.वि.प्रा. ।
11. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
12. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

२२/२

सहायक निदेशक (गोपनीय शाखा)